प्रेस प्रकाशनी

जून 2010

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकरण लेनदेन - न्यूनतम धारिता अवधि और न्यूनतम धारण आवश्यकता पर दिशानिर्देश का प्रारूप

3 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए न्यूनतम धारिता अवधि और न्यूनतम धारण आवश्यकता पर दिशनिर्देश का प्रारूप जारी किया। दिशानिर्देशों के प्रारूप में 1 फरवरी 2006 को जारी तब के दिशानिर्देशों का आशोधन किया गया है और दो नए पहलुओं को भी लागू किया है। वे हैं एक विशेष प्रयोजन माध्यमों के लिए एक आस्ति को बेचने से पहले न्यूनतम धारिता अवधि निर्धारित करना और प्रतिभूतिकरण से पूर्व ऋण की न्यूनतम राशि का भाग रख लेना।

एक परामर्शी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन दिशानिर्देशों को व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in)पर रखा गया। रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किए जाने के लिए कृपया अपने अभिमत/सुझाव ई-मेल द्वारा शीघ्र परंतु इन दिशानिर्देशों को वेबसाइट पर रखने के 21 दिनों के भीतर अवश्य भेजें।

भारतीय रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदनों का अब ऑन-लाइन पता लगाया जा सकता है।

3 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) के विभिन्न विभागों को किए गए आवेदनों का अब आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली (एटीएस) के माध्यम से ऑन-लाइन पता लगाया जा सकता है। रिज़र्व बैंक ने जनता की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग बैंकिंग लोकपाल योजना अथवा अन्य

किसी शिकायतों के अंतर्गत की गई शिकायतों का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उक्त आवेदनों का पता लगाने के लिए आवेदक को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (होम पेज www.rbi.org.in पर एटीएस लिंक) पर पंजीकरण करना होगा। ट्रैकिंग प्रणाली में पहली बार लॉग-इन पासवर्ड जनरेट होगा और आवेदक को ई-मेल से भेजा जाएगा । आवेदक को अनिवार्य रूप से पहली बार लॉग-इन करते समय अपने पासवर्ड को बदलना चाहिए। इस सुविधा के माध्यम से आवेदक ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, दस्तावेज संलग्न कर सकता है, देख सकता है और उसकी प्रगति का पता लगा सकता है।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश: मेसर्स एवरॉन एज्यूकेशन लिमिटेड

4 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स एवारॉन एज्यूकेशन लिमिटेड अपने इक्विटी शेयरों की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपने शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में संकल्प पारित किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स एवरॉन एज्यूकेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्ते कि:

i. सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद की समग्र सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

ii. कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

7 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
मेसर्स एस. दलिप सिंह क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड	ए-25/34, कॅनोट प्लेस, नई दिल्ली - 110001	बी-14.02738 दिनांक - 14 नवंबर 2002	14 मई 2010
मेसर्स साराज लीज़िंग एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	बीजी-147, संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर, नई दिल्ली - 110042	बी-14.01905 दिनांक - 12 सितंबर 2000	14 मई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

7 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका

पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
सुगती लीज़िग एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	5, बेसमेंट, आशीर्वाद बिल्डिंग, अहमदाबाद स्ट्रीट, मुंबई - 400009	13.00587 दिनांक - 31 मार्च 1998	29 अप्रैल 2010
वाइजमैन फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	रोज़मेरी, पहली मंज़िल, आइस फॅक्टरी लेन, ऑफ हिल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - 400050	बी-13.01625 दिनांक - 04 जुलाई 2002	27 अप्रैल 2010

महामाया इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

7 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए महामाया इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वी मंज़िल, मफतलाल हाउस, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई - 400 020 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2010 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों का संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश : बैंक ऑफ बड़ौदा

9 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत सकल शेयर धारिता उनकी चुकता पूँजी की 'ट्रिगर' सीमा तक पहुँच गई है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही प्राथमिक/द्वितीयक बाज़ार में इस कंपनी के इक्विटी शेयरों की आगे खरीद की अनुमति दी जाएगी।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश: मेसर्स एवरॉन एज्यूकेशन लिमिटेड

9 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स एवरॉन एज्यूकेशन लिमिटेड (एवरॉन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड से परिवर्तित नाम) ने अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा असाधारण आम सभा की बैठक में प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपने इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकल्प पारित किया है।

तदनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची से हटा दिया गया है और अब से उक्त कंपनी के शेयर उन विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से द्वितीयक बाज़ार में खरीदे जा सकते हैं जिन्होंने विद्यमान सीमा और इस संबंध में दिशानिर्देशों के अधीन संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली है।

केएलएस फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड - पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

14 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए केएलएस फाइनेन्स एण्ड

इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड' जिसका पंजीकृत कार्यालय : केएलएस कॉम्प्लेक्स, बेल्लारी रोड, हॉस्पेट 583201 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मई 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

यूनिकॉर्न होल्डिंग्ज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

14 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए यूनिकॉर्न होल्डिंग्ज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : पहली मंज़िल, अग्नी ब्लॉक, सलारपुरिया जी.आर. टेक पार्क, आइटीपिएल के आगे, व्हाइटफील्ड रोड, बेंगलूर 560 066 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13 अप्रैल 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

मेसर्स बुब्बीज कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया

14 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स बुब्बीज कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-75, बांगूर एवेन्यू, तीसरी मंज़िल, कोलकाता - 700 055 है, का पंजीकरण हेतु आवेदन प्रमाणपत्र 7 जून 2010 को अस्वीकृत कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत किए जाने के बाद मेसर्स बुब्बीज कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश : देना बैंक

14 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि देना बैंक में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आइआइ)/ अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत सकल शेयरधारिता उनकी चुकता पूँजी की 'ट्रिगर' सीमा तक पहुँच गई है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही प्राथमिक/द्वितीयक बाज़ार में इस कंपनी के इक्विटी शेयरों की आगे खरीद की अनुमति दी जाएगी।

मेसर्स मेवाड़ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (वर्तमान में ब्रह्मपुत्र इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

22 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स मेवाड़ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (वर्तमान में ब्रह्मपुत्र इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड), जिसका पंजीकृत कार्यालय : ब्रह्मपुत्र हाउस, ए-7 महिपालपुर (एनएच-8 क्रॉसिंग) नई दिल्ली-110037 है, को 9 जनवरी 2003 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 मई 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वेछा से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

रिज़र्व बैंक ने रामकृष्णपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) का लाइसेंस का आवेदन रद्द किया

22 जून 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रामकृष्णपुर को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा(पश्चिम बंगाल) अर्थक्षम नहीं रह गया है और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जून 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक के लाइसेंस के आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया । निबंधक, सहकारी समितियां, पश्चिम बंगाल से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य नियम और शर्तों के अंतर्गत रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी. पटनायक, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता से संपर्क कर सकते हैं। उनका पता निम्न प्रकार हैः:

पताः शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, 15 नेताजी सुभाष मार्ग, कोलकाता - 700 001. टेलीफोन नंबर : (033)22308331, फैक्सः (033) 22439290 ।

महागौरी इन्वेस्टमेंट्स लि. का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

29 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए महागौरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 83, सी.हंसराज प्रागजी बिल्डिंग, पहली मंज़िल, खरात लेन, डॉ. ई. मोजेस रोड के सामने, वरली, मुंबई - 400 018 है, को 31 मार्च 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मई 2010 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों का संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेशः बैंक ऑफ इण्डिया

29 जून 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि बैंक ऑफ इण्डिया में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत सकल शेयरधारिता उनकी चुकता पूँजी की 'ट्रिगर' सीमा तक पहुँच गई है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही द्वितीयक बाज़ार में विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए इस कंपनी के इक्विटी शेयरों की आगे खरीद की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते इस संबंध में वर्तमान सीमाओं और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।